न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 12 / 2017 (राजसमन्द आर्डर)

जब्बर सिंह पिता सोहन सिंह, जाति राजपूत, निवासी बुकरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. शम्भु सिंह पिता भीम सिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी बुकरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. भगवती सिंह पिता गुलाब सिंह, जाति राजपूत, निवासी बुकरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती सायर बाई बेवा गुलाब सिंह, जाति राजपूत, निवासी बुकरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
4. सागर सिंह पिता मान सिंह, जाति राजपूत, निवासी बुकरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
5. शंकर सिंह पिता मान सिंह, जाति राजपूत, निवासी बुकरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
6. सीता कंवर पुत्री मान सिंह, जाति राजपूत, निवासी बुकरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
7. सुगना कंवर पुत्री मान सिंह, जाति राजपूत, निवासी बुकरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
8. श्रीमती प्रेम कंवर बेवा मान सिंह, जाति राजपूत, निवासी बुकरडा, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, आमेट
दिनांक 12.07.2017 प्र॰सं॰ 29 / 2017

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री मुकेश देवपुरा अभिभाषक अपीलान्ट

2. श्री एस.एस. पालीवाल अभिभाषक रेस्पो. 1

3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9

———::———

निर्णय **दिनांक 17—01—2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बुकरडा में प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजियात प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी नंबर 715, 716 व 718 स्थित है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा है। उपरोक्त आराजियात के अलावा वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कुल किता 9 रकबा 2.2800 हैक्टर भूमि प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज होकर प्रार्थी के पिता ही उपयोग उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमियां विपक्षीगण के स्वामित्व की थी, विपक्षीगण ने उक्त भूमियां निर्मल मलिक को बेची थी, जिसे प्रार्थी ने क्रय की तब से प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी के खरीदशुदा खेतों में प्रार्थी के पिता की भूमि में जाने हेतु वर्षो से आराजी नंबर 417 एवं 717 से होकर गुजरता है, जो आगे प्रार्थी की खातेदारी की भूमि आराजी नंबर 718 मे जाता है। इस रास्ते की चौड़ाई 15 फिट है एवं रास्ते के दोनों ओर पत्थरों की दीवार व कहीं थोर की बाड़ बनी है। उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थी व उसके पूर्वज वर्षो से करते चले आ रहे हैं, परन्तु 4—5 वर्षो से विपक्षीगण उक्त रास्तों की भूमि पर बाधा उत्पन्न करते हैं तथा पत्थर डालकर रास्ता बन्द कर देते हैं। उक्त रास्ता खुलवाने बाबत् ग्राम पंचायत में आवेदन किया गया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षीगण को नोटिस देकर बुलाया व मौका रिपोर्ट पटवारी की उपस्थिति में बनायी गयी, लेकिन विपक्षीगण ने ग्राम पंचायत के आदेश के बावजूद रास्ता नहीं खोला। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। निवेदन किया कि खसरा नंबर 715, 716 व 718 में तथा प्रार्थी के पिता की भूमियों में जाने हेतु विपक्षीगण की खातेदारी की कृषि

भूमि आराजी नंबर 417 एवं 717 से रास्ता खुलावाया जावे एवं राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज किया जावे।

प्रकरण में दिनांक 17–05–2017 को विपक्षी का जवाब बन्द किया गया। दिनांक 05–06–2017 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षी संख्या 1 (अपीलान्ट) के अधिवक्ता की उपस्थिति में बहस सुनने के बाद तहसीलदार आमेट को आराजी नंबर 715, 716, 718 की भूमियों में जाने का रास्ता विपक्षीगण की भूमि खसरा नंबर 417 व 717 से रास्ता गुजरता है जिसकी लम्बाई व चौड़ाई का कुल क्षेत्रफल एवं वर्ममान डी.एल.सी. दर से कुल कितनी राशि होती है मय रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया तथा उक्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 12–07–2017 को विस्तृत आदेश पारित करते हुए आराजी नंबर 417 व 717 में रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये एवं प्रार्थी को डी.एल.सी. दर अनुसार राशि जमा कराने का आदेश दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 12–07–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19–07–2017 को पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री एस. एस. पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है तथा मात्र

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 शम्भूसिंह को फायदा पहुंचाने की नियत से निर्णय पारित किया है। आराजी नंबर 778 जिसमें किसी प्रकार की कोई काश्त नहीं होती है एवं वास्तव में वहां माईन्स स्वीकृत है तथा मौके पर क्वार्ट्ज फेल्सपार का काम हो रहा है। यही नहीं इस आराजी में भीमा का भी 1/8 हिस्सा दर्ज है, जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को रास्ता मांगने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इन आराजियात पर आने जाने के लिए मौके पर अलग से रास्ता खुला हुआ है। रेस्पोन्डेन्ट स्वयं ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि प्रार्थी ने सहायक कलक्टर आमेट के यहां एक आवेदन धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था, जिसे आप न्यायालय द्वारा पोषणीय नहीं माना है। यहीं नहीं तहसीलदार आमेट ने भी इस मामले में रास्ते का प्रकरण दर्ज किया एवं उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं माना है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में इतनी जल्दबाजी की है कि अपीलान्ट को विधि के प्रावधानों के तहत सुना ही नहीं है एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 से 8 के बीच दुरभिसंधि को समझा ही नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में यह सुस्पष्ट स्थिति है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट का जवाब दिनांक 17–05–2017 को बन्द किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण लोक अदालत में दिनांक 05–06–2017 को पेश हुआ है, जिसमें अपीलान्ट जब्बरसिंह भी उपस्थित है। अधिनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की सहमति उपलब्ध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मूल मंशा जिसमें रास्ते की विद्यमानता, वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने, लैण्ड लॉक होने व आत्यान्तिक आवश्यकता होने का कोई विनिश्चयन किये बिना तथा न्यायालय की ओर से अथवा न्यायालय द्वारा कोई मौका निरीक्षण किये बिना उक्त आदेश पारित किया है तथा उपलब्ध साक्ष्यों का भी कोई विवेचन नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05–06–2017 को आदेश करने के बाद मौका रिपोर्ट तलब कर रास्ते की चौड़ाई इत्यादि

की जांच रिपोर्ट मंगवायी है एवं इस आधार पर दिनांक 12–07–2017 को आदेश पारित किया है। प्रथम दृष्टया उक्त आदेश धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप उक्त तथ्यों का परीक्षण किये बिना पारित किया गया है। तद्नुसार प्रथम दृष्टया अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12–07–2017 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में रास्ते की विद्यमानता, वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने एवं आत्यान्तिक आवश्यकता होने इत्यादि के समस्त तथ्यों का विनिश्चयन कर तथा उभयपक्षों को सुनकर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16–03–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 17–01–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर